



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222842
CG-DL-E-30102020-222842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3431]
No. 3431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/ कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3885(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में -

(i) खंड 2 , उप-खंड (डड) में, शब्दों के पश्चात "फ्यूजन ब्लेंड ग्रैन्यूलेशन," शब्द "या सटीक ब्लेंड टेक्नोलॉजी", अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड 23 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'23 क. भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त उर्वरक की पुनः प्रसंस्करण - (1) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां भंडारण के दौरान उर्वरक का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया हो, ऐसे उर्वरक के निर्माता या आयातक इस तरह के निर्माता या उसके आवेदन में आयातक द्वारा उल्लिखित इकाई के निर्माण इकाई में इस तरह के उर्वरकों के पुनः प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित प्राधिकरण को निर्धारित शुल्क के साथ प्ररूप-1 में पुनः प्रसंस्करण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) अधिसूचित प्राधिकारी, का यह समाधान होने पर, उप-खंड (1) के अधीन किए गए आवेदन की अनुमति दे सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्ररूप- 1-2 में पुनः प्रसंस्करण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते, हैं :-

(क) ऐसी क्षतिग्रस्त सामग्री के कंटेनर को "क्षतिग्रस्त" शब्द के साथ और "एक्स" चिन्ह के साथ लाल रंग में स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाएगा।

(ख) क्षतिग्रस्त उर्वरक को पुनः प्रसंस्करण के प्रमाणपत्र के अनुदान की तारीख से एक सप्ताह के भीतर गोदाम से ले जाया जाएगा। ;'

(iii) खंड 36 के, उप-खंड (1) में, "विनिर्माण का प्रमाण पत्र", शब्द के पश्चात "या गैर मानक उर्वरक की बिक्री के लिए प्राधिकरण का प्रमाण पत्र या भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त उर्वरक की पुनः प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र", अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iv) अनुसूची- I में,

(क) भाग-क में, "उर्वरकों के विनिर्देशों" शीर्ष के अधीन, -

(अ) उप-शीर्षक "1 (i) 100% जल में घुलनशील जटिल उर्वरकों" के अधीन, क्रम संख्या 7 और उसके बाद संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"8. 24-24-0 100% जल घुलनशील जटिल उर्वरक

क्र.सं.	पैरा मीटर	
(i)	न्यूनतम भार के आधार पर नमी प्रतिशत	0.5
(ii)	कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल और नाइट्रेट) न्यूनतम	24.0
(iii)	न्यूनतम भार के आधार पर अमोनियम नाइट्रोजन प्रतिशत	14.0
(iv)	न्यूनतम भार के आधार पर नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रतिशत	10.0
(v)	न्यूनतम भार के आधार पर पानी में घुलनशील फास्फोरस प्रतिशत है	24.0
(vi)	न्यूनतम भार के आधार पर पानी के प्रतिशत में अघुलनशील	0.5";

(ख) उप-शीर्षक "1 (जे) लाभकारी तत्व उर्वरक" के अधीन, क्रम संख्या 1 और उसके बाद संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी :-

"2. डायटोमाइट सिलिकॉन

i.	अधिकतम भार के आधार पर नमी प्रतिशत	12.0
ii.	पीएच, न्यूनतम	7.5
iii.	न्यूनतम भार के आधार पर उपलब्ध प्लांट सिलिकॉन (एस (ओएच) 4 प्रतिशत	0.08
iv.	अधिकतम भार के आधार पर लीड (पीबी के रूप में) प्रतिशत,	0.003
v.	अधिकतम भार के आधार पर कैडमियम (सीडी के रूप में) प्रतिशत,	0.0025
vi.	अधिकतम भार के आधार पर आर्सेनिक(एस के रूप में) प्रतिशत,	0.01

vii.	कण का आकार :भार के आधार पर 80 फीसदी से कम नहीं 6 मिमी आईएस छलनी और 2 मिमी आईएस छलनी के बीच बरकरार रहेगा।";	
------	--	--

ग) उप-शीर्षक "1 (ट) तरल उर्वरक " के अधीन, क्रम संख्या 2 और उसके से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः अंतःस्थापित की जाएंगी : -

"3. जिंक-ग्लाइसिन(तरल)के रूप में चलेड जिंक

i	न्यूनतम भार के आधार पर जस्ता (जेडएन के रूप में), प्रतिशत	6.80
ii	पीएच (1 प्रतिशत) आसुत जल	4-5.5
iii	विशिष्ट गुरुत्व	1.21-1.28

4. कैल्शियम-ग्लाइसिन (तरल) के रूप में चलेड कैल्शियम

i	न्यूनतम भार के आधार पर कैल्शियम (सीए के रूप में), प्रतिशत	6.00
ii	पीएच (1 प्रतिशत) आसुत जल	5.5-7.0
iii	विशिष्ट गुरुत्व	1.15-1.22

5. बोरान-ग्लाइसिन (तरल) के रूप में चलेड बोरेन

i	न्यूनतम भार के आधार पर बोरान (बी के रूप में), प्रतिशत	5.0
ii	पीएच (1 प्रतिशत) आसुत जल	8.0-9.0
iii	विशिष्ट गुरुत्व(ग्रा/मिली लि.)	1.10-1.23" ;

ख) भाग-ख में, क्रम संख्या 4 में, "3 इकाइयों" अंक और शब्द के स्थान पर, "7 इकाइयों" अंक और शब्द को रखा जाएगा ;

(v) प्ररूप 'I' के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 1-1 '

[देखें खंड क 23]

क्षतिग्रस्त उर्वरक के

पुनः प्रसंस्करण के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा,

_____ राज्य का अधिसूचित प्राधिकरण

1. आवेदक का पूरा नाम और पता :

2. उर्वरकों का नाम जो क्षतिग्रस्त है

3. क्या सामग्री स्वदेशी रूप से निर्मित या आयात की जाती है

4. निर्माता / आयातक का नाम

5. उस डीलर का नाम, जिसके पास सामग्री संग्रहीत है या गोदाम का स्थान है या गोदाम जहां सामग्री संग्रहीत की जाती है

6. यदि सामग्री डीलर (थोक व्यापारी / खुदरा डीलर) के पास संग्रहीत है, तो डीलर के पक्ष में दिए गए प्राधिकरण पत्र की संख्या और तारीख प्रदान करें ;

7. क्षतिग्रस्त उर्वरक की मात्रा और उनके बैग की संख्या

8. उस पौधे का पता जहां सामग्री को पुनः अंकित किया जाना है

9. क्या क्षतिग्रस्त को अलग कर दिया गया है

10. क्षतिग्रस्त सामग्री को गैर-मानक 'शब्द' के साथ विशिष्ट रूप से सुपरसीड किया गया है और यह भी कि क्या सामग्री के बैग पर "X" चिह्न चिह्नित किया गया था।

मैंने पहले से ही दिए गए उर्वरकों में काम करने के लिए प्राधिकरण पत्र की एक प्रति संलग्न है और मैंने भंडारण के दौरान खराब हुए उर्वरक को फिर से भरने की अनुमति के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ, कि मैंने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 23क की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और इस सामग्री पर कोई छूट/सहायता नहीं ली गई है।

आवेदक का हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में आवेदक का नाम और पता

तारीख :

स्थान :

प्ररूप 'I-2'

[देखें खंड 23 क]

भंडारण के दौरान खराब हुए उर्वरकों के पुनः प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र

पुस्तक क्रमांक जारी करने की तिथि

मेसर्स (निर्माता / आयातक का नाम) /-----को इसके द्वारा यहाँ वर्णित नियम और शर्तों के अधीन भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त उर्वरक को फिर से भरने की अनुमति है: -

1. उर्वरक का नाम :

2. निर्माता आयातक का नाम :

3. डीलर और गोदाम या गोदाम का नाम और पता जहां सामग्री जमा है :

4. क्षतिग्रस्त उर्वरक की मात्रा को पुनः संसाधित करने की अनुमति दी गई है :

5. संयंत्र का पता / स्थान जहां सामग्री को पुनः संसाधित किया जाना है:

नियम और शर्तें ;

(1) तारीख अनुमति दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर सामग्री को ले जाया जाएगा।

(2) कंपनी उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय/भारत सरकार को भंडारण के दौरान खराब हुए उर्वरकों के पुनः प्रसंस्करण के बारे में सूचित करेगी।

(3) समान बेचने से पहले, कंपनी इसकी गुणवत्ता/मानकों को सुनिश्चित करेगी।

तारीख:

राज्य का अधिसूचित प्राधिकरण।

मुहर:

[फा. सं. 2-1/2020 उर्वरक लॉ]

नीरजा आदिडम, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3 (1) अधिसूचना संख्या. 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना संख्या, तारीख 3410 (अ) 29 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

Order

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3885(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fourth Amendment Order, 2020

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order) -

(i) in clause 2, in sub-clause (ee), after the words “fusion blend granulation,” the words “or precision blend technology,” shall be inserted;

(ii) after clause 23, the following clause shall be inserted, namely: —

’23 A. Reprocessing of fertiliser damaged during storage.- (1) Notwithstanding anything contained in this order, where the stock of fertiliser damaged during its storage, the manufacturer or the importer of such fertiliser may make an application for grant of certificate of reprocessing in Form I-1 along with prescribed fee to the Notified Authority for reprocessing such fertiliser in the manufacturing unit of such manufacturer or the unit mentioned by the importer in his application.

(2) The Notified Authority may, on being satisfied, allow the application made under sub-clause (1) and grant the certificate of reprocessing in Form – I-2, subject to the following conditions, namely:-

(a) the container of such damaged material shall be conspicuously superscribed in red color with the word “Damaged” and also with sign “X”.

(b) the damaged fertiliser shall be moved from the godown within one week from the date of grant of certificate of reprocessing.’;

(iii) in clause 36, in sub-clause (1), after the words “certificate of manufacture”, the words “or certificate of authorisation for sale of non-standard fertiliser or certificate for reprocessing of fertiliser damaged during storage”, shall be inserted;

(iv) in Schedule –I,

(a) in Part-A, under the heading “specifications of fertilizers”,-

(A) under the sub-heading “1(i) 100% Water Soluble Complex Fertilisers”, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be, inserted namely:-

“8. 24-24-0 100% Water Soluble Complex Fertiliser

S.No.	Parameter	
(i)	Moisture per cent. by weight maximum	0.5
(ii)	Total Nitrogen (Ammonical and Nitrate) minimum	24.0
(iii)	Ammonical Nitrogen per cent. by weight minimum	14.0
(iv)	Nitrate Nitrogen per cent. by weight minimum	10.0
(v)	Water Soluble Phosphorus per cent. by weight minimum	24.0
(vi)	matter insoluble in water per cent. by weight maximum	0.5 ”;

(B) under the sub-heading “1 (j) Beneficial Element Fertilisers”, after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be, inserted namely:-

“2. Diatomite Silicon

i.	Moisture per cent. by weight maximum	12.0
ii.	pH , minimum	7.5
iii.	Plant available silicon (Si (OH) ₄ per cent. by weight minimum	0.08
iv.	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003
v.	Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025
vi.	Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01
vii.	Particle Size :Not less than 80 per cent. of the material shall retain between 6 mm IS sieve and 2mm IS sieve.” ;	

(C) under the sub-heading “1 (k) LIQUID FERTILISERS”, after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be, inserted namely:-

“3.Chelated Zinc as Zinc–Glycine (liquid)

(i)	Zinc (as Zn), per cent. by weight , minimum	6.80
(ii)	pH (1 per cent. Distilled water	4.0-5.5
(iii)	Specific gravity	1.21-1.28

4.Chelated Calcium as Calcium-Glycine (liquid)

(i)	Calcium (as Ca), per cent. by weight, minimum	6.00
(ii)	pH (1 per cent. Distilled water)	5.5-7.0
(iii)	Specific gravity	1.15-1.22

5. Chelated Boron as Boron-Glycine (liquid)

(i)	Boron (as B), per cent. by weight ,minimum	5.0
(ii)	pH (1 per cent. Distilled water	8.0-9.0
(iii)	Specific gravity (g/ml)	1.10-1.23” ;

(b) in Part –B, in serial number 4, for the figure and word “3 units”, the figure and word “7 units” shall be substituted;

(v) after Form ‘I’, the following forms shall be inserted, namely:-

“Form ‘I-1’

[See clause 23 A]

**APPLICATION TO GRANT CERTIFICATE FOR REPROCESSING
OF DAMAGED FERTILIZER**

To,

The Notified Authority

State of _____

1. Full name and address of the applicant:
2. The name of fertilizers which is damaged:
3. Whether the material is indigenously manufactured or imported:
4. Name of the Manufacturer /Importer:

5. Name of the dealer with whom the material is stored or location of godown or warehouse where the material is stored:
6. If the material is stored with dealer (wholesaler/retail dealer), provide the number and date of authorisation letter granted in favour of the dealer:
7. Approximate quantity of damaged fertiliser and their number of bags:
8. Address of the plant where the material is to be reprocessed:
9. Whether the damaged material has been segregated:
10. Whether the damaged material is conspicuously superscribed with the word 'Non-Standard' and also whether the "X" mark was marked on the bags of the material.

I enclose a copy of the authorization letter for the dealing in fertilizers already granted to me and I have deposited the prescribed fee for permission to reprocess the fertilizer damaged during storage.

I certify, that I have complied with the requirements of clause 23A of the Fertilizers (Control) Order, 1985 and no subsidy /assistance is availed on this material.

Signature of the applicant

Name and address of applicant in block letters

Date:

Place:

Form 'I-2'

[See clause 23 A]

CERTIFICATE FOR REPROCESSING OF FERTILISER DAMAGED DURING STORAGE

Book No.

Date of Issue

M/s (Name of manufacturer/importer) is/are hereby permitted to reprocess the fertiliser damaged during storage described below subject to the terms and conditions noted hereunder:-

1. Name of the fertiliser:
2. Name of the manufacturer /importer:
3. Name and address of the dealer or godown or warehouse where the material is stored:
4. Quantity of damaged fertiliser permitted to be reprocessed:
5. Address/location of the plant where the material is to be reprocessed:

Terms and Conditions:

- (1) The material shall be moved within one week from the date permission is granted.
- (2) The company shall inform the Department of Fertiliser, Ministry of Chemical and Fertilisers/Government of India about reprocessing of fertiliser damaged during storage.
- (3) Before selling the same, the company shall ensure its quality/standards.

Date:

Notified Authority.

Seal:

State of _____

[F. No. 2-1/2020 Fert Law]
NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 (1), vide notification number G.S.R. 758 (E), dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number 3410(E) dated 29-09-2020.